झारखण्ड लोक सेवा आयोग

<u>सर्कुलर रोड, राँची–834001</u>

ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–17.12.2015	**विज्ञापन**	विज्ञापन संख्या–10/2015

कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–7714, दिनांक–25.08.2015 द्वारा अधियाचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप झारखण्ड न्यायिक सेवा **''सिविल जज (जूनियर डिवोजन)'' Civil Judge (Junior Division)** के 46 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हत्ताधारी उम्मीदवारों से आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन निर्धारित/विहित प्रपत्र में निम्न रूपेण आमंत्रित किया जाता है :–

1. <u>पद का नाम</u>

(a) <u>सिविल जज (जूनियर डिवोजन)</u> Civil Judge (Junior Division)

(b) <u>कोटिवार रिक्तियों की संख्या का विवरणः–</u>

Details of the number of Vacancy Category wise :-

SL. No.	Category	Total Vacancies	Women Reserved Seats *	Sports *	Handicapped reserved		
					Low Vision *	Low Hearing *	Locomotor Disability (Except Cerebral Palsy) *
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Unreserved	23	-	-	-	-	-
b	SC	05	-	-	-	-	-
c	ST	12	-	-	-	-	-
d	BC-I	05	-	-	-	-	-
e	BC-II	01	-	-	-	-	-

* As per horizontal reservation.

➢ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–11194 दिनांक–21.11.2013 के आलोक में निःशक्तजन के लिये झारखण्ड न्यायिक सवा में 3% क्षैतिज आरक्षण लागू रहेगा तथा उसका लाभ अनुमान्यता के आधार पर निम्न प्रकार की निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त हो सकेगा–

(i) मन्द दृष्टि (Low Vision) 1 प्रतिशत (i) आंशिक बधिर (Low Hearing) 1 प्रतिशत (iii) Locomotor disability (Cerebral Palsy को छोड़कर) 1 प्रतिशत का लाभ दिया जा जायेगा, बशर्ते कि प्राधिकृत चिकित्सा पर्षद उन्हें सकायक उपकरणें एवं आधुनिक तकनीक की सहायता से इस पद का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए योग्य घोषित करता है। **संबंधित आवेदकों को प्राधिकृत चिकित्सा पर्षद द्वारा उक्त आशय का निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र को स्कैन कर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।**

(c) वेतनमान–27,700–770–33,090–920–40,450–1,080–44,770

Pay Scale- 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770

(d) मंहगाई एवं अन्य भत्ते– राज्य सरकार के नियमानुसार

Dearness or other allowance- As per Govt. Circular.

2. **A) योग्यता (Eligibility) -**

(a) Degree of Law from a recognized University and enrolled as an advocate under the Advocates, Act, 1961 till last date of submission of application form. Valid registration is must. The suspended Registration not be accepted

(किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नात्तक की डिग्री एवं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निबंधित हो) आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध निबंधन अनिवार्य है। निलंबित निबंधन मान्य नहीं होगा।

;पद्ध Possesses sound health, bears good moral character and is not involved in, or related to any criminal case involving moral turpitude.
(जो उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आचरण वाले हों/किसी आपराधिक मामले में संलिप्त न हों या किसी आपराधिक मामले में नैतिक नीचता से संबंध नहीं रखते हों।)

B) आयु सीमा (Age) :-

(a) Above the age of 22 years and below the age of 35 years as on 31.01.2015
(दिनांक–31.01.2015 को उम्मीदवार की आयु 22 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम हो।)

(b) Provided that in the case of female candidate, or candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe there shall be relaxation of the upper age limit by 3 years.
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में **तीन वर्ष** की छूट होगी।)

3. If the number of candidates is very large and in the opinion of the Hon'ble High Court it is desirable, a Preliminary Entrance Test shall be conducted by the Commission. The Main Examination and Viva Voce Test shall follow the Preliminary Entrance Test for making direct recruitment to the post of Civil Judges, Junior Division (Munsif).

4. Syllabus:-

(a) "Preliminary Entrance Test" means Written Examination (Multiple Choice Questions/Objective Type) only and the candidates declared successful in this test shall be eligible for the Main Examination.

(b) "Main Examination" means Written Examination (Subjective) and the candidates declared successful in this Test shall be eligible for Viva-Voce Test.

(c) "Viva-Voce Test" means an Oral Examination.

The Syllabus for the Preliminary Entrance Test shall consist of :-

(i) General English
(ii) General Knowledge (including Current Affairs)
(iii) The Code of Civil Procedure, 1908.
(iv) The Code of Criminal Procedure, 1973.
(v) The Indian Evidence Act, 1872.
(vi) The Law of Contract, 1872.
(vii) The Indian Penal Code, 1860.

5. The Preliminary Entrance Test shall be of 100 marks in aggregate. The marks obtained in preliminary examination shall not be counted for the purpose of final selection. There shall be no negative marking.

6. The Merit List shall be prepared as under:-

(i) Candidates shall be arranged in seriatim as per marks obtained by them in the Recruitment Process.

(ii) This List shall be prepared category-wise for both preliminary entrance test as well as main examination.

7. The candidates up to 15 times of the total vacancy category-wise shall be called for appearing in the Main Examination. In case of tie of marks between the candidates at the last pedestal, all the

candidates obtaining such marks shall be called for appearing in the Main Examination irrespective of exceeding of number beyond 15 times of vacancies.

8. Duration of Preliminary Entrance Test shall be of two hours.

9. The Main Examination shall be of four papers of 100 marks each comprising of the questions on the following subjects. :-

Paper - I

(i) Procedural Law (The Code of Civil Procedure, 1908 and The Code of Criminal Procedure, 1973).
(ii) The Indian Penal Code, 1860.
(iii) The Indian Evidence Act, 1872.
(iv) The Limitation Act, 1963.

Paper - II

(i) The Contract Act, 1872
(ii) The Sales of Goods Act, 1930
(iii) The Negotiable Instruments Act, 1881
(iv) The Arbitration and Conciliation Act, 1996
(v) The Transfer of Property Act, 1882

Paper - III

(i) The Hindu Law and The Mohammedan Law
(ii) Rent Control Law.
(iii) The Specific Relief Act, 1963
(iv) Jurisprudence

Paper IV (Language)

Hindi & English (Essay, Precise writing, Translation & Paraphrase)

10. Duration of Main Examination shall be of three hours for each paper.

11. Appearing in each paper will be compulsory.

12. The candidates up to **three times** of total vacancy category-wise shall be called to appear in the Viva-voce Test on the basis of marks obtained by them in the main examination. In case of tie of marks between the candidates at the last pedestal, all the candidates obtaining such marks shall be called for appearing in the Viva-Voce Test irrespective of exceeding of number beyond three times of total vacancies.

13. There shall be Viva-Voce Test of **100 marks**. In the Viva-Voce Test the minimum required qualifying marks would be 25% for the General category candidates and 20% for SC/ST/EBC & BC.

14. No candidates, irrespective of the marks obtained by him in the Main Examination, shall be eligible for selection for appointment, if he obtains less than minimum **pre scribed** marks in the Viva-Voce Test.

15. The final selection list shall be prepared on the basis of the marks obtained in the Main Examination and the Viva-Voce Test both. In case of tie of marks between the candidates in the final selection list, their selection will be made firstly on the basis of qualification, i.e., person having Post Graduate Degree in Law shall be given preference and thereafter on the basis of experience, if any, in legal practice and still if necessary, on the basis of seniority in age.

16. **आरक्षण** :–

(क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में शामिल किया जायेगा।

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे। अतएव ऐसे उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपनी कोटि अनारक्षित (UNR) प्रविष्ट करेंगे।

(ग) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से क्रमशः विभागीय पत्रांक–5682 दिनांक 22.10.2008 एवं विभागीय ज्ञापांक–10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II में निर्गत प्राधिकार, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित श्रेणी के लिए मान्य होगी**। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(घ) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र-II में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

(ड) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. **अपवादः**– वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

18. **परीक्षा शुल्क** :–

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) सामान्य, पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**400 (चार सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**100/– (एक सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकते है। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (NOn Refundable) होगा।

(iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

19. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश

(क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ख) ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरे। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहों होगा।

(ग) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(घ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(ङ.) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(च) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(छ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(ज) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखे।

(झ) Online आवेदन भरते समय आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित विवरणी :–

उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, एल0एल0बी0, निबंधन प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), सरकारी सेवा में होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित आवश्यक जानकारी ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे एवं **सभी संदर्भित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(ञ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ट) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा

(B) **कदाचार** (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है:–

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
    (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
    (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(C) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u> :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

20. अंतिम तिथि :–

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक–**20.11.2015** अपराह्न 02:**00 बजे** से आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर भरा जा सकेगा।

(ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से **दिनांक 17.12.2015 रात्रि 11:45 बजे** तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

(ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।